PM SHRI

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं. 5, पंचम तल, कमरा नं. 601
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. के पास, जयपुर–302017
E-mail: primarypre@yahoo.com

क्रमांक : राजस्कूलशिप / पूर्व प्राथमिक शिक्षा / JADUI Pitara / 2025–26 / As Per RAJKAJ   दिनांक As Per RAJKAJ

पीएमश्री विद्यालयों में संचालित 629 बाल वाटिकाओं हेतु (ECCE Kit – Jadui Pitara) क्रय एवं उपयोग करने के दिशा–निर्देश 2025–26

परिचय – पूर्व प्राथमिक शिक्षा में लचीली, बहुआयामी, बहु–स्तरीय, खेल–आधारित, गतिविधि पूछताछ–आधारित शिक्षा शामिल है, जिसमें अक्षर, भाषाएँ, संख्याएँ, गिनती, रंग, आकार, इनडोर–आउटडोर खेल, पहेलियाँ, तार्किक चिन्तन सम्मिलित हैं। सोच, खोज, समस्या–समाधान, ड्राइंग, पेंटिंग, दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत, सामाजिक क्षमताओं, संवेदनशीलता, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, टीम वर्क एवं सहयोग विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियो में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक–भावनात्मक–नैतिक विकास, सांस्कृतिक / कलात्मक विकास, भाषायी एवं बौद्धिक विकास हेतु कार्य किया जाना अपेक्षित है; इसमें स्थानीय परंपराओं को भी उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा जिसमे कला, कहानियाँ कविता, खेल, गीत एवं अन्य स्थल गतिविधियाँ शामिल है।

राज्य के 629 पीएमश्री राजकीय विद्यालयों में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं / बालवाटिका में खेल आधारित आनन्ददायी शिक्षण सुनिश्चित करने हेतु पीएमश्री की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025–26 में Support at Pre-school Education/ Bal Vatika (ECCE) अन्तर्गत ECCE Kit (Jadui Pitara) हेतु 15000/- प्रति विद्यालय अनुमोदित है।

उद्देश्य :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा FS-2022 की अनुशंषाओं के क्रम में बुनियादी घटकों पर कार्य करना।
2. छात्र–छात्राओं के साथ कौशल विकास पर कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना।
3. शिक्षण को सहज, सरल, आननददायी, रुचिकर बनाना।
4. खेल आधारित शिक्षा पर जोर देना ।
5. सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को गतिविधि आधारित बनाना।
6. बच्चों को करके सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
7. विद्यार्थियों को विद्यालयी वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

बजट प्रावधान –

पीएमश्री वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025–26 अन्तर्गत ECCE kit (Jadui Pitara) हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत हुई है–

Major Component	Sub Component	Activity Master Name	Activity Name	Physical	Unit Cost (In Lakh)	Financial (In Lakh)
Curriculum, Pedagogy and Assessment	Project Innovation	Project Innovation (Recurring)	ECCE kit (Jadui Pitara)	629	[illegible]	94.35000

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.07.08 1[illegible]:00:04 IST
Reason: Approved

विवरण :–

"जादुई पिटारा" एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई एक शैक्षिक टूलकिट है, जिसे तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह खेल–आधारित शिक्षा पर जोर देता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के हिस्से के रूप में बुनियादी शिक्षा को बढ़ाना है।

जादुई पिटारा में बच्चों के लिए कई तरह की खेल–आधारित शिक्षण सामग्री होती है, जिसमें प्लेबुक, खिलौने, पहेलियाँ, फ्लैश कार्ड, स्टोरीबुक्स और वर्कशीट शामिल हैं. यह सामग्री बच्चों के सीखने और विकास के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें भाषा, साक्षरता, संख्या और स्थानिक कौशल शामिल हैं. जादुई पिटारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया है।

जादुई पिटारे का प्रतीकात्मक चित्र :–

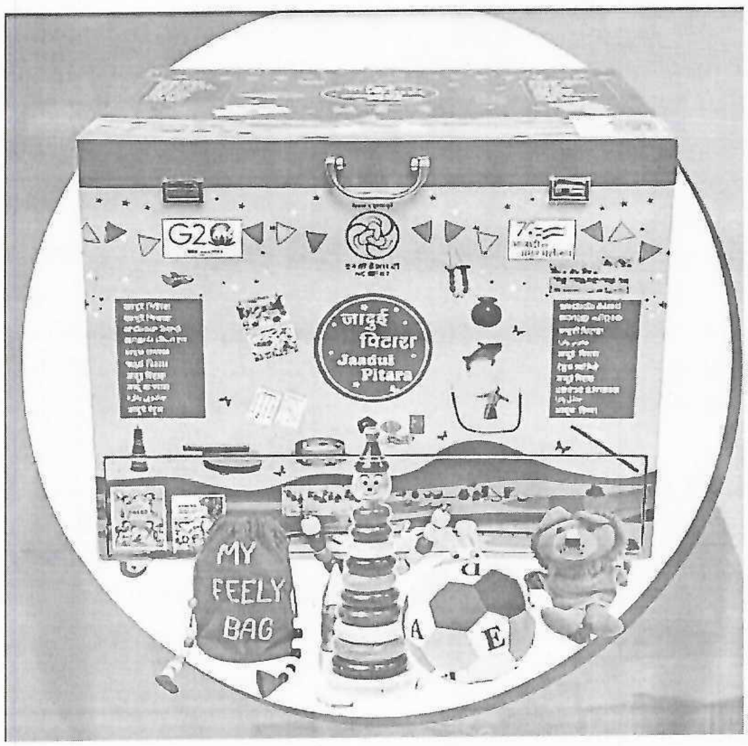

सामग्री क्रय हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

चयनित विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रति विद्यालय अनुमोदित राशि की सीमा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री NCERT द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार GeM पोर्टल पर निविदा के माध्यम से नियमानुसार विद्यालय स्तर पर क्रय की जानी है।

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.07.08 1[illegible]:00:04 IST
Reason: Approved

सामग्री के उपयोग हेतु दिशा दिशा–निर्देश :–

1. कक्षा शिक्षण के दौरान सामग्री का उपयोग NCERT द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण में अधिकतम किया जाना है, जिससे नामांकित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रुचिपूर्ण वातावरण में उपलब्ध कराई जा सके।
2. शिक्षक स्वयं के निर्देशन में पूर्ण सजगता बरतते हुए एवं समुचित पर्यवेक्षण में ही उक्त सामग्री का उपयोग बच्चों को सुरक्षित तरीके से कराए, किसी भी स्थिति में बच्चे सामग्री का असुरक्षित तरीके जैसे – जीभ से चाटना/निगलना इत्यादि नहीं करें।
3. शिक्षक – सामग्री का कक्षा–कक्ष में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। शिक्षण उपयोग उपरान्त समस्त सामग्री को एकत्र कर सुरक्षित रखा जाए।
4. जादुई पिटारे के कक्षा–कक्ष में शिक्षण एवं उपयोग से बच्चों की जागरूकता, कल्पानशीलता व्यवहार में आए परिवर्तन का आंकलन भी करवाया जाएगा। अतः उक्त सामग्री का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चे लाभान्वित हो सकें।

जिला स्तरीय अधिकारियों की भूमिका :–

1. जिला परियोजना कार्यालय द्वारा अनुमोदित राशि की सीमा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री NCERT द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार GeM पोर्टल पर निविदा के माध्यम से जिला स्तर पर क्रय की जानी है।
2. संबंधित जिलों के अधीनस्थ ब्लॉक एवं विद्यालयों तक जादुई पिटारे तथा इसको उपयोग करने की दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. NCERT द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय की जाये।
4. जिला, ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन कर मॉनिटरिंग की जाए।
5. विद्यालय अवलोकन एवं संबलन के समय सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना।
6. GeM पोर्टल पर जारी निविदा का प्रकाशन SPPP पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. वित्त विभाग के परिपत्र 1(8) वित्त/एस पी एफ सी/2017 दिनांक 01–07–2017 एवं GEM पोर्टल के उपापन हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं GeM Guideline की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की भूमिका :–

1. क्लस्टर एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
2. ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करना।
3. विद्यालय अवलोकन एवं संबलन के समय सामग्री का उपयोग सुनिश्चिति कराने हेतु नियमित मॉनिटरिंग करना।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.07.08 1?:00:04 IST
Reason: Approved

क्लस्टर स्तरीय अधिकारी की भूमिका :–

1. परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
2. क्लस्टर स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करना।
3. परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में सामग्री को बालवाटिका में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपयोग कराना।
4. मासिक समीक्षा, अभिभावक बैठक के समय सामग्री द्वारा गतिविधियों का नियोजन अभिभावकों के सम्मुख प्रस्तुत कराना।
5. विद्यालय अवलोकन एवं संबलन के समय सामग्री के उपयोग की मॉनिटरिंग करना।

संस्था प्रधान के दायित्व एवं भूमिका :–

1. सामग्री प्राप्त होने के पश्चात उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना ।
2. NCERT द्वारा जारी सामग्री के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका के अनुसार ही जादुई पिटारे का उपयोग सुनिश्चित करवाना।

शिक्षक की भूमिका :–

1. NCERT द्वारा जारी सामग्री के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका के अनुसार ही जादुई पिटारे का उपयोग सुनिश्चित करना।
2. कक्षा–कक्षीय शिक्षण गतिविधियों में सामग्री से सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना।
3. विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना एवं विद्यार्थियों के कार्य को सामग्री का उपयोग करते हुए सीखने हेतु प्रेरित कराना।
4. सामग्री का कक्षा–कक्षीय गतिविधियों के दौरान अधिकतम उपयोग कराना।
5. विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री को नियमित रूप से परिवर्तित करते हुए सभी विद्यार्थियों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराना।
6. कक्षा–कक्ष या शिक्षण के दौरान उपयोग करके सीखने की प्रवृति को बढ़ावा देना।

विशेष :–

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को **https://prabandh.education.gov.in/pmshri/** पर शीघ्र प्रविष्टि कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी, अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.07.08 1?:00:04 IST
Reason: Approved

- सामग्री क्रय के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण–पत्र 05 दिवस में **primarypre@yahoo.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला परियोजना कार्यालय उक्त गतिविधि का सम्पादन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

संलग्न – उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रारूप।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप–जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त–पीएमश्री, राजस्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. उपनिदेशक–शालादर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिला प्रभारी (OIC) समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि प्रभारित जिले में गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए गतिविधि का सम्पादन कराये।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. संस्थाप्रधान – पीएमश्री विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.07.08 1?:00:04 IST
Reason: Approved

प्रारूप–1

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक ....
क्रमांक दिनांक

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (जिला स्तर)

पीएमश्री विद्यालयों में संचालित बालवाटिकाओं हेतु – ....(गतिविधि का नाम)

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त आहरण सीमा (राशि)	जादुई पिटारे के क्रय हेतु GeM पोर्टल पर निविदा जारी करने की दिनांक	विद्यालयों की संख्या जहा जादुई पिटारे की आपूर्ति कर दी गयी है	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1									

हस्ताक्षर प्रभारी **हस्ताक्षर एडीपीसी**

उक्त प्रपत्र गतिविधि पूर्ण होने पर जिला स्तर से समेकित कर राज्य स्तर को **primarypre@yahoo.com** पर प्रेषित किया जाये।

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.07.08 1?:00:04 IST
Reason: Approved

District wise count for Jadui Pitara (629 PM Shri School)		
क.सं.	जिला	बाल वाटिकाओं की जिलेवार संख्या
1	AJMER	19
2	ALWAR	16
3	BALOTARA	11
4	BANSWARA	18
5	BARAN	16
6	BARMER	18
7	BEAWAR	12
8	BHARATPUR	15
9	BHILWARA	23
10	BIKANER	16
11	BUNDI	12
12	CHITTAURGARH	17
13	CHURU	15
14	DAUSA	16
15	DEEG	7
16	DHAULPUR	12
17	DIDWANA-KUCHAMAN	14
18	DUNGARPUR	14
19	GANGANAGAR	19
20	HANUMANGARH	16
21	JAIPUR	29
22	JAISALMER	9
23	JALOR	18
24	JHALAWAR	14
25	JHUNJHUNU	20
26	JODHPUR	20
27	KARAULI	14
28	KHAIRTHAL-TIJARA	10
29	KOTA	14
30	KOTPUTLI-BEHROR	9
31	NAGAUR	15
32	PALI	18
33	PHALODI	10
34	PRATAPGARH (RAJ.)	14
35	RAJSAMAND	16
36	SALUMBAR	8
37	SAWAI MADHOPUR	10
38	SIKAR	27
39	SIROHI	10
40	TONK	16
41	UDAIPUR	22
	Grand Total	629

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.07.08 1[illegible]:00:04 IST
Reason: Approved